सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 14.07.2026

गैंगस्टर एक्ट के तहत सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अपराध से अर्जित ₹28 लाख मूल्य के दो वाहन कुर्क-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) **श्री ऋषभ रुणवाल** के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी घोरावल **श्री राजेश कुमार राय** के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक घोरावल श्री बृजेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना घोरावल पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई करते हुए अपराध से अर्जित संपत्ति के रूप में प्रयुक्त दो वाहनों को कुर्क किया गया।

उक्त कार्रवाई थाना शाहगंज पर पंजीकृत **मु0अ0सं0-01/2026**, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से संबंधित प्रकरण में की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदे एवं प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों का चिन्हीकरण कर आख्या जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र को प्रेषित की गई। जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र द्वारा निर्गत कुर्की आदेश के अनुपालन में दिनांक 14.07.2026 को गैंगस्टर एक्ट की **धारा 14(1)** के अंतर्गत दोनों वाहनों को विधिवत कुर्क किया गया।

कुर्क किए गए वाहनों का विवरण-

1. प्रकाश माहखुड़ पुत्र बसन्त माहखुड़, निवासी ग्राम मंगलपुर कुसुपंगा, थाना कंटा बनिया, जनपद ढेंकानाल (ओडिशा)।
वाहन: ट्रक संख्या OD06B7503
अनुमानित मूल्य: ₹8,00,000

2. निरंजन बग्घा पुत्र गनेश बग्घा, निवासी ग्राम हरेकृष्णापुर, थाना इतामाती, जनपद नयागढ़ (ओडिशा)।
वाहन: डीसीएम संख्या OD02CB5536
अनुमानित मूल्य: ₹20,00,000

कुर्की की कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र।
2. उपनिरीक्षक सुभाष यादव, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र।
3. हेड कांस्टेबल राज सिंह राणा, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र।
4. हेड कांस्टेबल राजीव कुमार, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र।